mail (19)

**राजस्थान सरकार**
**आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग**

क्रमांक– प.25(2)आयु./2015 जयपुर, दिनांक – 8 FEB 2016

**आदेश**

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के आदेश क्रमांक प.16(78) एम.ई. / ग्रुप–1 / 2014 दिनांक 04.02.2015 आयुष विभाग के ए–क्लास चिकित्सालयों में लैब व लैबटेक्निशियनों की सुविधा उपलब्ध होने तक आयुष विभाग के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक के ए–क्लास चिकित्सालयों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा परामर्श अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के आदेश जारी किये गये।

माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा ली गई विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 28.10.2015 के निर्णयानुसार राज्य के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों द्वारा परामर्श अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना की सुविधा, सम्बन्धित चिकित्सालय/औषधालय के समीपस्थ राज्य के चिकित्सा महविद्यालयों से सम्बद्धित चिकित्सालयों तथा चिकित्सा एवं स्वाध्य विभाग के अधीन संचालित समस्त जिला चिकित्सालय, सेटेलाईट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों आदि द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

**(मुकेश शर्मा)**
**प्रमुख शासन सचिव**
**चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण**
**चिकित्सा शिक्षा विभाग**

**(संजय दीक्षित)**
**प्रमुख शासन सचिव**
**आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग**

**प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –**

1. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य के चिकित्सा महविद्यालयों एवं सम्बद्धित चिकित्सालयों को आवश्यक निर्देश जारी कराने का श्रम करावे।
8. निदेशक (आई.ई.सी.) निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि अधीनस्थ संचालित समस्त जिला चिकित्सालय, सेटेलाईट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों को आवश्यक निर्देश जारी कराने का श्रम करावें। ।
9. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त अधीनस्थ को सूचित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।
10. निदेशक, होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर समस्त अधीनस्थ को सूचित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर।
11. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
12. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।

**(सेवा राम स्वामी)**
**शासन उप सचिव**

Acp
Pl. upload website
Ayurved